न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— धारा सिंह मीणा, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः—14 / 2021 / अपील

1 कानाराम पुत्र बंशीराम
2 कृष्ण कुमार पुत्र बंशीराम
3 संजू पुत्र बंशीराम
4 रविकांत पुत्र बंशीराम
समस्त जाति हरिजन (धानका) निवासीगण रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

अपीलान्ट्स

बनाम

1 सन्तोष देवी पुत्री भंवरलाल
2 तारादेवी पुत्री भंवरलाल
समस्त जाति हरिजन निवासीगण रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामांतकरण सं. 3014 दिनांक 11.02.2017
द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर

वकील अपीलांट श्री भागीरथमल जाखड़
वकील रेस्पोडेंट श्री महेश कुमार जाखड़

निर्णय **दिनांकः—09.09.2021**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि आराजीयात खसरा नम्बर 3644, 3645, 3648, 3675, 3680, 3681 कुल किता 6 कुल रकबा 2.30 हैक्टर वाकै तन रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित है। जो पूर्व में भंवरलाल व दोलाराम पुत्र जवाहरा के खाते कब्जे व काश्त की थी। स्वर्गीय भंवरलाल व दोला फौत हो चुके है। स्वर्गीय भंवरलाल के अपीलांटस व रेस्पो वारिसान है तथा स्वर्गीय दोलाराम नाऔलाद फौत हो चुका है जिसके अपीलांट वैधानिक वारिस है फिर भी अधीनस्थ तहसीलदार ने विरासत का नामांतकरण बिना किसी आधार के खारिज करने का गलत आदेश दिया है। आदेश जैर अपील देने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने अपीलांट को कोई नोटिस सूचना व सुनवाई का अवसर नहीं दिया है अतः आदेश जैर अपील कानूनन निरस्त होने योग्य है। पूर्व में भंवरलाल व दोलाराम पुत्र जवाहरा जाति हरिजन साकिन रींगस के खातेदारी में दर्ज थी जिनका देहान्त हो चुका है तथा अपीलांट स्वीर्गीय भंवरा के वारिसान है तथा दौला नाऔलाद फौत हो गया है जिनके अपीलांट व रेस्पोडेन्टस वैधानिक वारिस है। उक्त आराजीयात पर अपीलांटस व रेस्पोडेन्टस एकमात्र वारिस के रूप में काबिज काश्त है व मौके पर काबिज है। अपीलांटस व रेस्पोडेन्टस ही स्वर्गीय भंवरा व दौला के वैधानिक वारिसान है तथा उसकी मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तरकरण अपीलांटस व रेस्पोडेन्टस के नाम भरा गया था लेकिन अधीनस्थ तहसीलदार ने बिना किसी तहकीकात के तथा बिना किसी आधार के अपीलांट का विरासत का नामांतरण गलत रूप से खारिज करने का गलत आदेश पारित किया है जो कानूनन निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 11.02.2017 को तस्दीक नामान्तकरण संख्या 3014 को निरस्त फरमाया जावे।

अति॰ जिला कलक्टर, सीकर

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. को नोटिस जारी किये गये। रेस्पो. की और से वकील श्री महेश कुमार जाखड़ उपस्थित आये। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता रेस्पो. ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति जाहीर नहीं की। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन करने पर अपीलाधीन नामान्तकरण खातेदार भंवर दौला पि0 जवाहरा फौत होने पर हल्का पटवारी द्वारा विरासत के आधार पर दिनांक 18.10.2016 को भरा जाकर गिरदावर हल्का के समक्ष पेश किया गया। गिरदावर हल्का रींगस द्वारा दिनांक 11.02.2017 को रिपोर्ट कर अंकित किया गया है कि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी काबिल खारिज है। तत्पश्चात् तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा नामान्तकरण में खातेदार के वारिसान की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होने का नोट अंकित करते हुए दिनांक 11.02.2017 को नामान्तकरण खारिज कर दिया गया। अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस यह कथन किया कि आराजीयात खसरा नम्बर 3644, 3645, 3648, 3675, 3680, 3681 कुल किता 6 कुल रकबा 2.30 हैक्टर वाकै तन रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जो पूर्व में भंवरलाल व दोलाराम पुत्र जवाहरा के खाते कब्जे व काश्त की थी। स्वर्गीय भंवरलाल व दोला फौत हो चुके है। स्वर्गीय भंवरलाल के अपीलांटस व रेस्पो. वारिसान है तथा स्वर्गीय दोलाराम नाऔलाद फौत हो चुका है जिसके अपीलांट वैधानिक वारिस है। तहसीलदार द्वारा वारिसान की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होने का नोट अंकित करते हुए अपीलाधीन नामान्तकरण को खारिज कर दिया गया जबकि वारिसान की जांच करने का अधिकार हल्का पटवारी, हल्का गिरदावर एवं तहसीलदार को ही है। अपीलाधीन नामान्तकरण के सम्बंध में अधिवक्ता रेस्पो. द्वारा किसी प्राकर की आपत्ति जाहीर नहीं की गई। मृतक खातेदार के वारिसान की जानकारी के अभाव में नामांतकरण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं प्रकरण तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलाधीन नामान्तकरण के सम्बंध में मृतक खातेदार के विधिक वारिसान की जांच कर नियमानुसार नामांतकरण तस्दीक करने की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 09.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धारा सिंह मीणा)
अति. जिला कलक्टर, सीकर
अति0 जिला कलक्टर, सीकर